न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री छत्रपाल चौधरी (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 48/2020/प्रार्थना पत्र

उनवान

1. फेमिदा बी पत्नि अब्दुल रउफ जाति मुसलमान नि. सुनेल तहसील सुनेल

– प्रार्थी

बनाम

1. अब्दुल खलील पि. चांद खां जाति मुसलमान नि. सुनेल तहसील सुनेल
2. अब्दुल कादिर पि. चांद खां जाति मुसलमान नि. सुनेल तहसील सुनेल

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील प्रार्थी – श्री पूरीलाल राठौर
वकील अप्रार्थीगण – श्री रमेशचन्द सोनी

आदेश दिनांक : 12.09.2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से धारा 212 रा.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सुनेल तहसील सुनेल की आराजी ख.नं. 1430 रकबा 1.0749 हेक्टर भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज है। इसके उपरांत भी प्रतिवादीगण ने दिनांक 02.07.2020 को वादी की इस भूमि पर अवैधानिक नियंत्रण बनाकर उसे इस आराजी पर बुवाई करने के लिये प्रवेश करने से रोका तथा इस भूमि पर बिना वैध अधिकार के कब्जा बनाये हुये है। इस प्रकार तत्सम्बद्ध प्रतिवादीगण द्वारा दुरूपयोग किये जाने, आराजी को क्षति कारित किये जाने या अन्य संकान्त किये जाने के कारण भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे में खतरे में व अधरझूल में है। जिस कारण प्रथम दृष्टया वाद व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है तथा इस कार्य के भविष्य में जारी रहने की सूरत में प्रार्थी के वैधानिक अधिकारों को अपरिमित क्षति होगी।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम सुनेल तहसील सुनेल की आराजी ख.नं. 1430 रकबा 1.0749 हेक्टर भूमि को वाद के निस्तारण तक भूमिधारी तहसील सुनेल को रिसीवर नियुक्त कर उन्हे सुपुर्द कर उसका प्रशासन इस भूमि पर रखा जावे। प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम सुनेल की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 716 की नकल प्रस्तुत की।

COURT 2024

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री रमेशचन्द सोनी ने वकालतनामा पेश कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को गलत बताकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया एवं विशेष कथन में निवेदन किया कि जिस वादग्रस्त आराजी को प्रार्थी ने अपनी खातेदारी की बताई है किन्तु प्रार्थी ने जिन व्यक्तियों से आराजी खरीद की है वे या उनके पूर्वज कभी भी ख.नं. 1430 के वैधानिक खातेदार काश्तकार नहीं रहे है एवं न ही आराजी पर कभी उनका कब्जा काश्त रहा है। उन्होंने षडयंत्र से आराजी को अपने खाते दर्ज करवाया है। प्रार्थी ने शब्बीर भाई बोहरा एवं जोहर भाई बोहरा सगे भाईयों से आराजी खरीद की है उनके द्वारा इसी आराजी का कब्जा प्राप्त करने का एवं आराजी से बेदखल करने का एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा के न्यायालय में दिनांक 04.07.2000 को पेश किया था जिसमें अप्रार्थीगण ने अपना काउन्टर वाद व जवाब पेश किया था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा द्वारा दिनांक 30.11.2005 को शब्बीर भाई बोहरा एवं जोहर भाई बोहरा का वाद खारीज कर अप्रार्थीगण का काउन्टर वाद स्वीकार कर अप्रार्थीगण व उनके पिता को तन्हा खातेदार घोषित किया था। शब्बीर भाई बोहरा एवं जोहर भाई बोहरा द्वारा न्यायालय भू.प्रबंध एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील पेश की थी जिसे पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया। शब्बीर भाई बोहरा एवं जोहर भाई बोहरा ने उक्त वाद को दिनांक 31.12.2015 को खारीज करवा लिया है। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में वास्तविक तथ्यों छुपाया है जिससे प्रार्थी का वाद स्वतः मियाद बाहर है। शब्बीर भाई बोहरा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट एफ.आई.आर.नं. 73/2000 पुलिस थाना सुनेल में दिनांक 10.05.2000 को गलत तथ्यों के आधार पर दर्ज करवायी जिसमें न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट भवानीमण्डी द्वारा दिनांक 05.07.2008 को निर्णय पारित कर अप्रार्थीगण व उनके पिता को स्पष्ट रूप से दोषमुक्त कर परिवादी शब्बीर भाई बोहरा के विरूद्ध धारा 211 भा.द.सं. के अन्तर्गत कार्यवाही करने का आदेश पारित किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण व उनके पिता का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा 70 वर्षो से निरन्तर बिना किसी रोकटोक एलानिया सबके ज्ञान में चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपना वाद धारा 183 आर.टी.एक्ट का पेश किया तथा प्रार्थी स्वयं अप्रार्थीगण का कब्जा स्वीकार करता है। प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी को नष्ट करने बाबत कोई तथ्य स्पष्ट नहीं किये

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with CamScanner

है। साथ ही ऐसा कोई कारण भी उल्लेखित नहीं किया है जिसके कारण रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक हो क्योंकि वादग्रस्त आराजी के कब्जे को लेकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य कोई विवाद नहीं हुआ है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र के साथ नकल वादपत्र उनवान शब्बीर वगै. बनाम चांदखां दिनांक 04.07.2000, नकल जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम दिनांक 02.07.2002, नकल जवाब काउन्टर क्लेम दिनांक 09.01.2003, नकल तनकियात, नकल निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी पिडावा दिनांक 30.11.2005, नकल आर्डरशीट दिनांक 31.12.2015, नकल निर्णय प्र.सं. 171/2000 न्यायालय भवानीमण्डी दिनांक 05.07.2008 की प्रतियां प्रस्तुत की।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र, जवाब पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्रीयों व दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया गया तथा विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह पाया कि ग्राम सुनेल की विवादित आराजी ख.नं. 1430 के संबंध में उंभयपक्षों के मध्य लम्बे समय से विवाद चला आ रहा है जिस बाबत समय–समय पर विभिन्न राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्रीयां जारी की हुई। वादी/प्रार्थी पक्षकार उक्त तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना लेकर आया है। ऐसे मे प्रार्थी का प्राईमाफेसी केस नहीं है।

आदेश

इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस नहीं है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने की स्थिति में अपूरनीय क्षति की संभावना भी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का खारीज किया जाता है।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावे के साथ संलग्न हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(छत्रपाल चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with CamSca